कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur/yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2019/6365 दिनांकः– 23.07.2019

–:कार्यवाही विवरण:–

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

एजेण्डा संख्या	जोन	विषय	निर्णय
1.		भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 04/2019 वीं बैठक दिनांक 10.06.2019 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि	**समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।**
2.	पूर्व	राजस्व ग्राम नान्दड़ा कलां खसरा संख्या 276 रकबा 13.11.00 बीघा में से 08.10.00 बीघा के मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ 3बी ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमती सुमन कट्टा पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश कट्टा। भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को पूर्व में प्राधिकरण से अनुमोदित खसरा संख्या 266 व 266/1 की अनुमोदित योजना से 80 फीट पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 01.05.2019 को 90–क निर्णय पारित किया जा चुका है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त यह तथ्य सामने आया कि प्रकरण में राजस्थान आवासन मण्डल की अवाप्ति प्रकिया में प्रश्नगत खसरान् की भूमि अवस्थित हो सकती है। अतः उक्त संबंध में जोन स्तर पर राजस्थान आवासन मण्डल की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**
3.	पूर्व	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 765, 765/2, 765/3, 765/4, 765/5 रकबा 17.04.00 बीघा के मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ 3/बी ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री बिहारी लाल पुत्र श्री लादूराम वगैरहा भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 40 फीट पहुँच मार्ग खसरा संख्या 763/3, 762/2 व 763/1 की रास्ते हेतु समर्पित की गई भूमि से प्राप्त हो रहा है। • मास्टर प्लान डी.सी.आर अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु पहुँच मार्ग 60 फीट अपेक्षित है, परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.04.2017 अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना हेतु पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 30 अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 40 फीट पहुँच मार्ग खसरा संख्या 763/3, 762/2 व 763/1 की रास्ते हेतु समर्पित की गई भूमि से प्राप्त हो रहा है। मास्टर प्लान डी.सी.आर अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु पहुँच मार्ग 60 फीट आवश्यक होने तथा आवेदित भूमि को 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध होने के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के व्यापक जनहित में सम्मिलित होने के कारण राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.04.2017 अनुसार पहुँच मार्ग की आवश्यक न्यूनतम चौडाई 30 अपेक्षित होने तथा आवेदित भूमि को 40 फीट का पहुँच मार्ग उपलब्ध होने के कारण अनुज्ञेय किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जानी होगी। • राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03-04-2017 अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3बी के तहत न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र एवंम 5 प्रतिशत पार्क छोडा जावें। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत रिपोर्ट

			जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
4.	पूर्व	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 86 मीन व 93/1 मीन रकबा 02.01.08 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री गोमाराम उर्फ गोविन्दराम पुत्र श्री पुरखाराम वगैरहा भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 100 फीट सडक पर स्थित है। • माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या–1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य मे पारित निर्णय के क्रम मे न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र/पार्क एवं खुला क्षेत्र का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। प्रस्तावित ले–आउट प्लान मे वृक्षारोपण/पार्क हेतु 12.65 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित किया गया है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श प्रकरण में मौके पर भूमि में से गुजर रही एच.टी लाईन एंव सेन्ट पॉल स्कूल में जाने वाली सडक की चौडाई मानचित्र में अंकित नही होने के कारण पुनः जोन स्तर पर मौका रिपोर्ट उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**
5.	पूर्व	राजस्व ग्राम रसीदा के खसरा संख्या 8/2 रकबा 11.14.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री पप्पूराम पुत्र श्री गोपालराम विश्नोई भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 100 फीट स्टेट हाई–वे 68 पर स्थित है। • प्रारूप–7 अनुसार आवेदित भूमि के दक्षिण–पश्चिम की ओर कटाणी मार्ग खसरा संख्या 115 स्थित है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** • आवेदित भूमि स्टेट हाई–वे 68 पर स्थित है अतः मास्टर प्लान प्रावधानुसार सडक मध्य से 100 फीट भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जानी है। सडक मार्गाधिकार पश्चात् सडक के दोनों और 100–100 फीट भूमि वृक्षारोपण हेतु छोडी जानी होगी। • माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या–1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य मे पारित निर्णय के क्रम मे न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र/पार्क एवं खुला क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। • मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जानी अपेक्षित है। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

			• उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
6.	पूर्व	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 767/1 रकबा 07.00.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री बिरमाराम पुत्र श्री रावतराम भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • आवेदित भूमि ख.सं. 767/1 को खसरा संख्या 767 के जेडीए अनुमोदित प्लान से 40 फीट रोड पहुँच मार्ग के रूप में उपलब्ध हो रही है मौके पर मुडिया (ग्रेवल रोड) निर्मित है। • माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या–1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य मे पारित निर्णय के कम मे न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षैत्र/पार्क एवं खुला क्षैत्र का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि तक आवश्यक मास्टर प्लान डी.सी.आर अनुसार न्यूनतम 60 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध नही होने से प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।**
7.	पूर्व	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 691 रकबा 12.12.03.5 में से 08.09.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री जेठाराम पुत्र स्व श्री रावतराम भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 100 फीट स्टेट हाई वे 61 पर स्थित है। आवेदित मानचित्र में उक्त सडक का मार्गाधिकार 200 फीट दर्शाया गया है। • आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन के संबंध में आवेदक द्वारा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. लूणी में विद्युत लाईन को अन्यंत्र शिफ्ट कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** • उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के कम में 200 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चिता जोन स्तर पर की जावें। • माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या–1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य मे पारित निर्णय के कम मे न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षैत्र/पार्क एवं खुला क्षैत्र का प्रावधान किया जावें। • मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जानी अपेक्षित है। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन के संबंध में आवेदक द्वारा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. लूणी में विद्युत लाईन को अन्यंत्र शिफ्ट कराने हेतु प्रस्तुत आवेदन के कम में कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें अथवा एवं

			टी विद्युत लाईन के नीचे नियमानुसार सेफटी कोरिडोर छोड़ा जावें।
8.	पूर्व	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 462/2/1 रकबा 08.00.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री गणेशराम पुत्र श्री लादूराम वगैरह भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 40 फीट कटाणी मार्ग से पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। आवेदित मानचित्र में उक्त मार्ग को 60 फीट दर्शाया गया है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 40 फीट कटाणी मार्ग से पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। आवेदित मानचित्र में उक्त मार्ग को 60 फीट दर्शाया गया है। पूर्व में उक्त मार्ग पर अन्य संपरिर्वतन रास्ते को 60 फीट मानते हुए अनुमोदित किये गये है। अतः सडक मध्य से 30 फीट भूमि आवेदक की भूमि से निःशुल्क समर्पित करनी होगी जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। • माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या–1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य मे पारित निर्णय के क्रम मे न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र/पार्क एवं खुला क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। • मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जानी अपेक्षित है। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
9.	पूर्व	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 566/3/4, 566/3/5 रकबा 02.10.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ (एकल) ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री जब्बसिंह पुत्र श्री मोहनलाल, श्री कुशालचन्द्र पुत्र श्री मोहनराम भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 100 फीट बी.टी सडक पहुँच मार्ग हेतु प्राप्त हो रही है। राजस्व रेकर्ड अनुसार एन.एच. 112 200 फीट पर स्थित है। (जोधपुर–जयपुर रोड वाया बनाड) • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि से 3 खसरा छोडकर खसरा संख्या 566/3/1, रकबा 02.15.00 बीघा में से 1 बीघा भूमि का आवसीय है, जिसका नया खसरा संख्या 566/3 मीन दर्ज है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 100 फीट बी.टी सडक पहुँच मार्ग हेतु प्राप्त हो रही है। राजस्व रेकर्ड अनुसार एन.एच. 112 200 फीट पर स्थित है। (जोधपुर–जयपुर रोड वाया बनाड) अतः सडक मध्य से 100 फीट भूमि आवेदक की भूमि से निःशुल्क समर्पित करनी होगी जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। • मास्टर प्लान प्रस्ताव अनुसार सडक मार्गाधिकार पश्चात् सडक के

			दोनों और 100–100 फीट भूमि वृक्षारोपण हेतु छोडी जानी होगी। • राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशी ली जानी/5 प्रतिशत भूमि छोडी जानी है। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
10.	पूर्व	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 414/1, 414/2 व 414/3 रकबा 11.10.00 बीघा के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री विजय मेहरा व श्री जय मेहर पुत्र श्री जोराराम भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी) की बैठक दिनांक 27.02.2019 में अनुमोदित प्रश्नगत प्रकरण में लिये गये निर्णय के बिन्दु संख्या 1 के कम में प्रार्थी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवेदित भूमि तक दर्शाये गये 60 फीट पहुँच मार्ग को निरस्त नही किये जाने का निवेदन किया है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त सडक के आस–पास की मौका रिपोर्ट जोन स्तर पर की जावें तथा उक्त सडक से किन–किन खसरान की भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, बाबत् टिप्पणी उपरान्त आगामी बैठक में रखा जावें।**
11.	पश्चिम	राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 82/7 रकबा 02.02.00 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री सुमेरराम पुत्र श्री गोपराम भील भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 50 फीट है। आवेदित भूमि नारनाडी से डोली जाने वाली सडक पर स्थित है। • खसरा संख्या 82/6 फार्म हाउस प्रयोजनार्थ कार्यालय द्वारा पूर्व में अनुमोदित है। • सडक के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 50 फीट है। आवेदित भूमि नारनाडी से डोली जाने वाली सडक पर स्थित है। अतः उक्त सडक का मार्गाधिकार 60 करने हेतु सडक मध्य से 30 फीट भूमि आवेदक की भूमि से निःशुल्क समर्पित करनी होगी जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।

			• प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
12.	पश्चिम	राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 200/2 रकबा 00.18.08 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री मोहनलाल पुत्र श्री गणेशमल जी भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि से पर पहुंच मार्ग 60 फीट है। मौके पर रिको द्वारा रोड निर्मित है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि पर पहुंच मार्ग 60 फीट है। मौके पर रिको द्वारा रोड निर्मित है, जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। • राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशी ली जानी/5 प्रतिशत भूमि छोडी जावें। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त, जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
13.	पश्चिम	राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 200/3 रकबा 00.18.08 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री भरत कुमार पुत्र श्री मांगीलाल भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट व प्रारूप 7 अनुसार आवेदित भूमि को पहूँच मार्ग रिको औद्योगिक क्षेत्र की 60 फीट बी0टी0 रोड से है। मौके पर रिको द्वारा रोड निर्मित है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** • जोन चैकलिस्ट व प्रारूप 7 अनुसार आवेदित भूमि को पहूँच मार्ग रिको औद्योगिक क्षेत्र की 60 फीट बी0टी0 रोड से है। मौके पर रिको द्वारा रोड निर्मित है, जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। • राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशी ली जानी/5 प्रतिशत भूमि छोडी जावें। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

			• उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
14.	पश्चिम	राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 279/1, 279/2, 280, 281 रकबा 57. 09.00 बीधा के आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी श्री कुशालराम वगैरह भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि से पहुंच सडक का मार्गाधिकार 30 फीट है। आवेदित भूमि में पहुंच मार्ग खसरा संख्या 287 गै.मु रास्ते से खसरा संख्या 278 जेडिए की स्वामित्व की भूमि मे से है। राजस्व नक्शे अनुसार गै.मु रास्ते एवम् आवेदक की भूमि के मध्य 15 फीट प्राधिकरण की भूमि में से पहुँच मार्ग है। • आवेदित भूमि के उपर से एक इलेक्टिक लाईन गुजर रही है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि को न्यूनतम आवश्यक 40 फीट की सुनिश्चितता हेतु मौका रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**
15.	पश्चिम	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 99/2, 99/3, 106 रकबा 11.02.01 बीधा के आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री नूर मोहम्मद पुत्र श्री दीन मोहम्मद वगैरह भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में पहुंच मार्ग 30 फीट का कटाण रास्ता है। • आवेदित मानचित्र में उक्त मार्ग को 60 फीट दर्शाया गया है। • आवेदित भूमि के पास ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 107 का ले–आउट प्लान प्राधिकरण कार्यालय द्वारा अनुमोदित है। उक्त अनुमोदित योजना में कटाणी मार्ग रास्ते को 60 फीट प्रस्तावित किया गया है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में पहुंच मार्ग 30 फीट का कटाण रास्ता है। पूर्व में उक्त मार्ग पर अन्य संपरिवर्तन रास्ते को 60 फीट मानते हुए अनुमोदित किये गये है। अतः सडक मध्य से 30 फीट भूमि आवेदक की भूमि से निःशुल्क समर्पित करनी होगी जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। • माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या–1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य मे पारित निर्णय के कम मे न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षैत्र/पार्क एवं खुला क्षैत्र का प्रावधान किया जावें। • मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जानी अपेक्षित है। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और न ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने

			होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले आउट प्लान जारी किया जावें।
16.	पश्चिम	राजस्व ग्राम चैनसिंह नगर के खसरा संख्या 29 रकबा 14.08.00 बीघा के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ एकल ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री इन्द्राराम पुत्र श्री छगनाराम वगैरहा भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • प्रारूप 7 अनुसार आवेदित भूमि से पहुंच सडक का मार्गाधिकार 40 फीट है जो बी.टी. सडक है। • मास्टर प्लान की डी0सी0आर अनुसार 40 फीट व उससे अधिक पहुँच मार्ग पर फॉर्म हाउस अनुज्ञेय किये जा सकते है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि से पहुंच सडक का मार्गाधिकार 40 फीट है जो बी.टी सडक है। अतः उक्त सडक का मार्गाधिकार 60 फीट करने हेतु सडक मध्य से 30 फीट भूमि आवेदक की भूमि से निःशुल्क समर्पित करनी होगी जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। • आवेदित भूमि के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में अन्य रास्ता है जिनके न्यूनतम मार्गाधिकार 40 फीट करने हेतु रास्ते के मध्य से 20 फीट भूमि आवेदक की भूमि में से निःशुल्क समर्पित करनी होगी। • आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में विद्यमान 40 फीट सडक को दक्षिण–पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 22 की भूमि तक आगे बढाया जावे। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित ले–आउट प्लान में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
17.	पश्चिम	राजस्व ग्राम चैनसिंह नगर के खसरा संख्या 22 रकबा 41.13.05 बीघा के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ एकल ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री इन्द्राराम पुत्र श्री छगनाराम वगैरहा भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • प्रारूप 7 रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मे से 11 के.वी की विद्युत लाईन गुजर रही है। जो टयूबवेल विद्युत कनेक्शन है। अतः नियमानुसार सेफ्टी कोरीडोर छोडा जाना आवश्यक है। • प्रारूप 7 अनुसार आवेदित भूमि से पहुंच सडक का मार्गाधिकार 25 फीट है जो बी.टी सडक है। • सडक की चौडाई के संबंध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि से पहुंच सडक का मार्गाधिकार 25 फीट है जो बी.टी सडक है। अतः उक्त सडक का मार्गाधिकार 60 फीट करने हेतु सडक मध्य से 30 फीट भूमि आवेदक की भूमि से निःशुल्क समर्पित करनी होगी जिसकी

			सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। • खसरा संख्या 29 में उल्लेखित 40 फीट सडक हेतु भूमि समर्पित होने के उपरान्त ही प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही की जावें। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
18.	पश्चिम	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 14/2, 15 रकबा 09.09.13 बीघा के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ एकल ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री दिनेश धूत पुत्र श्री सत्यनारायण धूत वगैरह। भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रारूप–7 अनुसार आवेदित भूमि से पहुंच सडक का मार्गाधिकार 30 एवं 60 फीट है, जो डब्ल्यू.बी.एम/बी.टी सडक है। • सडक मार्गाधिकार के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। • प्रारूप–7 अनुसार राजस्व रिकोर्ड में खातेदार का नाम अनिल दर्ज है जबकि बैचान दस्तावेज में एवं आवेदन पत्र में अनिल के स्थान पर अनिष धूत है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि से पहुंच सडक का मार्गाधिकार 30 फीट एवं 60 फीट है जो डब्ल्युबीएम सडक है। अतः उक्त सडको का मार्गाधिकार 100 फीट करने हेतु सडक मध्य से 50 फीट भूमि आवेदक की भूमि से निःशुल्क समर्पित करनी होगी जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित ले–आउट प्लान में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।

19.	उत्तर	राजस्व ग्राम चौपासनी चाराणान् के खसरा संख्या 112/10 रकबा 04.01.00 बीघा के कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्रीमती सुशीला पत्नी श्री जगदीशलाल राठी भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :-** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 100 फीट जोधपुर ओसिया बाईपास सडक पर स्थित है। जो बी.टी सडक है। • ले आउट प्लान की बैठक दिनांक 03.10.2018 में खसरा संख्या 112 का ले आउट अनुमोदित है। • मास्टर प्लान व गूगल मैप अनुसार राज्य राज मार्ग पर स्थित है अतः सडक की चौडाई 200 फीट व उसके पश्चात् 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखे जाने बाबत् समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 100 फीट जोधपुर ओसिया बाईपास सडक पहुँच मार्ग हेतु प्राप्त हो रही है उक्त सडक का मार्गाधिकार समिति निर्णयानुसार 200 फीट रखे जाने हेतु सडक मध्य से 100 फीट भूमि आवेदक की भूमि से निःशुल्क समर्पित करनी होगी जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जानी होगी। • मास्टर प्लान प्रस्ताव अनुसार सडक मार्गाधिकार पश्चात् सडक के दोनों और 100-100 फीट भूमि वृक्षारोपण हेतु छोडी जानी होगी। • राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशी ली जानी/5 प्रतिशत भूमि छोडी जानी है। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
20.	उत्तर	राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 188/1, 188/11 रकबा 05.00.00 बीघा के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री प्रकाशचन्द पुत्र श्री कानाराम वगैरहा भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :-** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग जोधपुर विकास प्राधिकरण की भूमि मे से 1380'X60' का उपलब्ध है। जिस हेतु प्रार्थी द्वारा राशि जमा है। **समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-** • राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.06.2017 अनुसार संस्थागत प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किया जाने पर पट्टे में यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में उक्त क्षैत्र में यदि किसी सार्वजनिक उपयोग यथा पुलिस स्टेशन आदि स्थापित किये जाने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी तो संबधित संस्थान द्वारा 5 प्रतिशत सीमा तक निःशुल्क समर्पित किया जावें • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।

			• प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी. लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
21.	उत्तर	राजस्व ग्राम आगणवा के खसरा संख्या 188 / 2, 188 / 10 रकबा 05.03.00 बीघा के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री मांगीलाल विकम पुत्र श्री गोडाराम वगैरहा भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05 / 2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग जोधपुर विकास प्राधिकरण की भूमि मे से 1380'X60' का उपलब्ध है। जिस हेतु प्रार्थी द्वारा राशि जमा है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** • राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.06.2017 अनुसार संस्थागत प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किया जाने पर पट्टे में यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में उक्त क्षेत्र में यदि किसी सार्वजनिक उपयोग यथा पुलिस स्टेशन आदि स्थापित किये जाने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी तो संबंधित संस्थान द्वारा 5 प्रतिशत सीमा तक निःशुल्क समर्पित किया जावें। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी. लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
22.	उत्तर	राजस्व ग्राम रामपुरा भाटियान के खसरा संख्या 246 / 12, 246 / 28 रकबा 38.19.00 बीघा में से 28.07.03 बीघा के लघु उद्योग योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत आवेदक :– श्री दाउलाल बूब पुत्र श्री गंगाबिशन भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05 / 2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • उक्त प्रकरण पूर्व में ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 27.02.2019 में रखा जाकर समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त निदेशक आयोजना को ग्रामीण क्षेत्र की डी.सी.आर में संशोधन करवाये जाने बाबत् निर्देशित किया गया तथा डी.सी.आर में संशोधन होने तक प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया था। • कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 04.07.2019 में ग्रामीण क्षेत्र की डी.सी.आर में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है। • आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में वाणिज्यिक क्षेत्र आदि में

			आंशिक संशोधन किया जाना प्रस्तावित है; **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** • कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 04.07.2019 के कार्यवाही विवरण जारी होने के उपरान्त ही प्रकरण में कार्यवाही की जावें। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 / रिको भवन मानदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
23.	उत्तर	राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, 100/4/1, 100/5, 100/9 रकबा 54.02.00 बीघा के प्रदूषण रहित इको फैण्डली उद्योग (योजना) प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री गोपाल पुत्र श्री नेनाराम भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 200 फीट मण्डलनाथ से पालडी खिचियान् सडक पर स्थित है। • जोन चैक लिस्ट अनुसार सडक राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नही है। • आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन के नीचे नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छोडी जानी अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** • जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 200 फीट मण्डलनाथ से पालडी खिचियान् सडक पर स्थित है। अतः सडक मध्य से 100 फीट की भूमि में स्थित प्रार्थी की भूमि को निःशुल्क समर्पित करवाना होगा। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 / रिको भवन मानदण्ड के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
24.	उत्तर	राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 63/4, 63/5 रकबा 05.02.10 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का खसरा संख्या 63/5 आंगणवा से भोपालगढ जाने वाली सडक पर स्थित है जो

		प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री कोजाराम पुत्र श्री छैलाराम वगैरह भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	आवेदित भूमि खसरा संख्या 63/5 से आंशिक रूप से लगती है। खसरा संख्या 63/4 व आंगणवा से भोपालगढ जाने वाली सडक के मध्य खसरा संख्या 64/1 की भूमि स्थित है जो राजस्व जमाबंदी अनुसार प्राधिकरण के नाम दर्ज है। जो बी.टी सडक है। • माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या–1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य मे पारित निर्णय के कम मे न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षैत्र/पार्क एवं खुला क्षैत्र का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का खसरा संख्या 63/5 आंगणवा से भोपालगढ जाने वाली सडक पर स्थित है जो आवेदित भूमि खसरा संख्या 63/5 से आंशिक रूप से लगती है। खसरा संख्या 63/4 व आंगणवा से भोपालगढ जाने वाली सडक के मध्य खसरा संख्या 64/1 की भूमि स्थित है जो राजस्व जमाबंदी अनुसार प्राधिकरण के नाम दर्ज है। जो बी.टी सडक है। अतः इस बाबत् प्रार्थी से प्राधिकरण की भूमि की आवश्यक राशि ली जाने के उपरान्त ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावें। • माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या–1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य मे पारित निर्णय के कम मे न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षैत्र/पार्क एवं खुला क्षैत्र का प्रावधान किया जावें। • मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जानी अपेक्षित है • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
25.	उत्तर	राजस्व ग्राम बासनी लांछा के खसरा संख्या 86/2 रकबा 11.11.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री बीजाराम पुत्र श्री कुम्भाराम वगैरह भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 200 फीट जैसलमेर–नागौर रिंग रोड पर स्थित है। • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि रिंग रोड हेतु 06 बिस्वा भूमि आवाप्त की गयी है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि को रिंग रोड हेतु अवाप्त भूमि उपरान्त शेष भूमि को नवीन मानचित्र पर सुपरइम्पोज कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**
26.	उत्तर	राजस्व ग्राम करवड के खसरा संख्या 417/7, 417/मीन1 रकबा 20.00.00 बीघा के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि नागौर मुख्य सडक से करवड गांव जाने वाली 76 फीट बी.टी सडक पर स्थित है जो मौके पर निर्मित है आवेदक द्वारा सडक के मध्य से 50 फीट

		आवेदक :— श्री भंवरलाल पुत्र श्री भीखाराम कौरड़ा भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	छोडकर प्रस्तुत किया गया है। उक्त सडक पत्रावली में संलग्न राजस्व मानचित्र में दर्ज नही है। • मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (प्रारूप) आपत्ति सुझाव अनुसार उक्त खसरान् पर आपत्ति संख्या 318 दर्ज है। अतः इस बाबत् निर्णय अपेक्षित है **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त आवेदित खसरा विशेष पर मास्टर प्लान में प्राप्त आपत्ति निस्तारण उपरान्त आगामी बैठक में रखा जावें।**
27.	उत्तर	राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 201/1/1 रकबा 04.00.00 बीघा के फार्म हाउस एकल प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :— श्री भोमाराम पुत्र श्री नारायणराम भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :—** • जोन चेकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि से पहुंच सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट है, जो डामर सड़क है। • प्रारूप–7 की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि 100 फीट सडक पर स्थित है। • जोन चैकलिस्ट अनुसार सडक राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—** • जोन चेकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि से पहुंच सडक का मार्गाधिकार 100 फीट है उक्त सडक को मास्टर प्लान प्रस्ताव अनुसार 200 फीट रखे जाने हेतु सडक मध्य से 100 फीट की भूमि में स्थित प्रार्थी की भूमि को निःशुल्क समर्पित करवाना होगा। • आवेदित भूमि का आंशिक भाग वॉटर बॉडी के साथ वृक्षारोपण पटटी में आरक्षित है अतः उक्त की सुनिश्चितता ले–आउट प्लान में आयोजना शाखा द्वारा की जानी होगी। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, बाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
28.	उत्तर	राजस्व ग्राम मण्डोर प्रथम/द्वितीय के खसरा संख्या 72/23 रकबा 02.05.12 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :— श्री प्रदीप सोनी एच यू एफ जरिये कर्ता श्री प्रदीप सोनी भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :—** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 50 फीट सडक पर स्थित है जो मौके पर सडक निर्मित है। • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के समीप खसरा संख्या 72/22 रकबा 05.02.08 बीघा बैठक दिनांक 15.02.2018 को 80 फीट सडक पर अनुमोदित किया गया है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 50 फीट सडक पर स्थित है जो मौके पर सडक निर्मित है। उक्त सडक को 80 फीट रखे जाने हेतु सडक मध्य से 40 फीट की भूमि में स्थित प्रार्थी की भूमि को निःशुल्क समर्पित करवाना होगा। • राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.

			2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशी ली जानी/5 प्रतिशत भूमि छोड़ी जानी है। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले--आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ--पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ--पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले--आउट प्लान जारी किया जावें।
29.	उत्तर	राजस्व ग्राम बासनी लाछा के खसरा संख्या 102/8, 102/2 रकबा 09.05.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ योजना ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री किशोर पुत्र श्री पप्पाराम भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में पहुँच मार्ग 60 फीट है जो समर्पित भूमि खसरा संख्या 102/7 में से उपलब्ध हो रहा है। • जोन चैकलिस्ट अनुसार खसरा संख्या 102/7 से पूर्व रिंग रोड से चिपती खसरा संख्या 101 की भूमि आती है जिसकी लम्बाई 60 फीट X 276 फीट है जो राजस्व जमाबंदी अनुसार राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। • कटाण मार्ग की चौडाई समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। • आवेदित भूमि के दक्षिण से गुजर रही 400 के.वी की विद्युत लाईन की स्थिति लिया जाकर नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छोडी जानी अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में पहुँच मार्ग 60 फीट है जो समर्पित भूमि खसरा संख्या 102/7 में से उपलब्ध हो रहा है। उक्त की सुनिश्चितता जोन द्वारा की जानी होगी • जोन चैकलिस्ट अनुसार खसरा संख्या 102/7 से पूर्व रिंग रोड से चिपती खसरा संख्या 101 की भूमि आती है जिसकी लम्बाई 60 फीट X 276 फीट है जो राजस्व जमाबंदी अनुसार राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। अतः उक्त भूमि का म्यूटेशन जे.डी.ए के नाम दर्ज करवाकर प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही जोन स्तर पर की जानी होगी। • माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या–1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य मे पारित निर्णय के कम मे न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र/पार्क एवं खुला क्षैत्र का प्रावधान किया जावें। • मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जानी अपेक्षित है। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

			• उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी. लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
30.	उत्तर	राजस्व ग्राम बासनी लाछा के खसरा संख्या 86/3, 86/9, 86/10 रकबा 12.07.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री वीराराम पुत्र श्री हरजीराम वगैरहा भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :-** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 200 फीट जैसलमेर नागौर रिंग रोड पर स्थित है, जो डब्ल्यू.बी.एम सडक है। • आवेदित भूमि कुल रकबा 12.13.00 बीघा में से कार्यालय पत्रांक 210-212 दिनांक 16.10.2015 द्वारा खसरा संख्या 86/3 में से रकबा 00.06.00 बीघा भूमि सडक हेतु अधिग्रहण की जा चुकी है। **समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि को रिंग रोड हेतु अवाप्त भूमि उपरान्त शेष आवेदित भूमि को नवीन मानचित्र पर सुपरइम्पोज कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**
31.	उत्तर	राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 278, 278/11 रकबा 07.14.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ योजना ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री किशोर पुत्र श्री पप्पाराम वगैरहा भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :-** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 60 फीट कटाणी मार्ग पर स्थित है। • आवेदित भूमि के पास स्थित दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 278/1/1 रकबा 05.03.00 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान 60 फीट सडक पर अनुमोदित है। **समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में पहुँच मार्ग 60 फीट कटाणी मार्ग पर स्थित है। उक्त की सुनिश्चितता जोन द्वारा की जानी होगी। • माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या-1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय के क्रम में न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र/पार्क एवं खुला क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी. लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा, उक्त सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।

32.	उत्तर	राजस्व ग्राम नेतडा के खसरा संख्या 416/26, 416/26/1, 416/26/2, 416/39, 416/39/1, 416/39/2, 416/48, 416/115, 416/73, 416/79, 416/79/1, 416/79/2 रकबा 86.10.00 बीघा के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री लूणाराम पुत्र श्री ढलाराम वगैरह भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :-** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 30 फीट कटाण मार्ग पर स्थित है। • आवेदित भूमि में से एल.टी लाईन निकल रही है। • प्रकरण में आवेदक द्वारा 416/26, 416/48, 416/73, 416/79/1, 416/79/2, 416/26, 416/26/1, 416/26/2, 416/39, 416/39/1, 416/39/2, 416/56 कुल रकबा 102.10.00 बीघा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, परन्तु जोन चैकलिस्ट अनुसार खसरा संख्या 416/58 को छोड़ते हुये कुल 86.10 बीघा अंकित किया गया है तथा सुपर ईम्पोज ले-आउट प्लान 97.03.00 बीघा का किया गया है। अतः आवेदित क्षेत्रफल अनुसार मानचित्र को सुपरइम्पोज करवाया जाना अपेक्षित है। • पत्रावली के पैरा संख्या 21 में तहसीलदार बावडी के पत्र अनुसार आवेदित भूमि में वन भूमि शामिल नही है एवम् किसी न्यायालय में उक्त भूमि बाबत वाद नही है। **समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-** • आवेदित भूमि को कटाण मार्ग से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है उक्त रास्ते को न्यूनतम 80 फीट रखे जाने हेतु सडक मध्य से 40 फीट की भूमि में स्थित प्रार्थी की भूमि को निःशुल्क समर्पित करवाना होगा। • प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही से पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जानी होगी। • उपरोक्तानुसार आवेदित क्षेत्रफल अनुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त कर जोन स्तर पर मानचित्र को पुनः सुपरइम्पोज किया जावें। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा, उक्त सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
33.	दक्षिण	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 128/22, 128/15, 128/12 रकबा 01.18.08 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री संजय कुमार पुत्र श्री चन्द्रभान वगैरहा भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वी बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :-** जोन चैकलिस्ट अनुसार राज्य सरकार को समर्पित 15 फीट चौडा नरसीम मार्ग जिसे 80 फीट चौडा मानते हुए पूर्व में खसरा संख्या 126/7 का मानचित्र अनुमोदित किया जा चुका है। **समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि को आस पास सडक की मौका रिपोर्ट एवम् उक्त सडक पर पूर्व में संपरिवर्तित प्रकरणों में निर्धारित सडक चौडाई की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा न्यूनतम पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**
34.	दक्षिण	राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 793/2 रकबा 07.00.00 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड	**समिति को अवगत करवाया गया कि :-** • भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी) की बैठक दिनांक 27.02.2019 में रखा गया तथा प्रकरण में प्राप्त आपत्ति के क्रम में

		ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री कोजाराम पुत्र श्री रतनाराम वगैरह भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया। उक्त के कम में जोन स्तर पर प्राप्त आपत्ति पर सुनवाई करते हुए निस्तारण किया गया। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 100 फीट कांकाणी से शिकारपुरा (लूणी) मुख्य एस.एच सडक पर स्थित है उक्त सडक मार्गाधिकार मास्टर प्लान प्रस्ताव अनुसार 200 रखे जाने हेतु सडक मध्य से 100 फीट की भूमि में स्थित प्रार्थी की भूमि को निःशुल्क समर्पित करवाना होगा। • सडक मार्गाधिकार पश्चात् सडक के दोनों और 100-100 फीट भूमि वृक्षारोपण पट्टी हेतु छोडी जानी होगी। • सडक मार्गाधिकार में प्रार्थी द्वारा निर्मित बाउण्ड्री वॉल को हटाया जाना होगा जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जानी होगी। • राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशी ली जानी/5 प्रतिशत भूमि छोडी जानी है। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, दावे अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एंकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले आउट प्लान जारी किया जावें।
35.	दक्षिण	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 38/2 रकबा 02.03.00 बीघा के होटल प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमती मंजु गोयल पत्नी श्री राजेन्द्र गोयल भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • मास्टर प्लान प्रावधानानुसार केवल 100' गहराई तक वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है शेष आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है आवेदित भूमि की उत्तरी भुजा की गहराई लगभग 126 फीट है. • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मुख्य पाल रोड 150 फीट पर स्थित है। एवं चैकलिस्ट बिन्दु संख्या 17–बी अनुसार मौके पर डामर सडक 100 फीट एवं कटाणी मार्ग अंकित किया गया है। • आवेदित भूमि एकल भूखण्ड अथवा 100' जो भी कम हो तक वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। शेष आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग आरक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मुख्य पाल रोड 150 फीट पर स्थित है। एवं चैकलिस्ट बिन्दु संख्या 17–बी अनुसार मौके पर डामर सडक 100 फीट एवं कटाणी मार्ग अंकित किया गया है। मास्टर प्लान अनुसार उक्त सडक का मार्गाधिकार 200 फीट आरक्षित रखे जाने हेतु सडक मध्य से 100 फीट की भूमि में स्थित प्रार्थी की भूमि को निःशुल्क समर्पित करवाना होगा। • आयोजना शाखा अनुसार सडक मार्गाधिकार पश्चात् 100 फीट गहराई तक भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है एवं शेष

			आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। अतः केवल 100' गहराई तक होटल हेतु समपरिवर्तन किया जावें। प्रार्थी चाहे तो 100 फीट गहराई के पश्चात आवासीय पट्टा भी होटल के साथ–साथ ले सकता है। • राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशी ली जानी/5 प्रतिशत भूमि छोडी जानी है। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी. लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
36.	दक्षिण	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/5 रकबा 01.14.02 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक श्री भंवरलाल पुत्र श्री राधाकिशन सोनी भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का राजस्व मानचित्र में तरमीमशुदा 80 फीट मार्ग है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 80 फीट है उक्त सडक मार्गाधिकार हेतु सडक मध्य से 40 फीट की भूमि में स्थित प्रार्थी की भूमि को निःशुल्क समर्पित करवाना होगा। • राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशी ली जानी/5 प्रतिशत भूमि छोडी जानी है। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी. लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।

37.	दक्षिण	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 60, 60/6 रकबा 09.00.00 बीघा के कृषि आधारित प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- मैसर्स क्लटिवेटर नेचुरल प्रोर्डक्टस प्रा.लि जोधपुर जरिये डायरेक्टर श्री तरूण प्रजापति पुत्र श्री नारायणदास प्रजापति भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :-** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को विद्यमान 30 फीट कटाणी मार्ग से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। • आवेदक द्वारा उक्त कटाणी मार्ग को 100 फीट प्रस्तावित किया गया है। अतः कटाणी मार्ग के मार्गाधिकार बाबत निर्णय अपेक्षित है। • उक्त कटाणी मार्ग को पूर्व में 100 फीट करते हुए औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये गये है। **समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को विद्यमान 30 फीट कटाणी मार्ग से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। आवेदक द्वारा उक्त कटाणी मार्ग को 100 फीट प्रस्तावित किया गया है। अतः उक्त कटाणी मार्ग पर पूर्व में संपरिवर्तित प्रकरणों में 100 फीट पहुँच मार्ग की चौडाई अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावें। • राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशी ली जानी/5 प्रतिशत भूमि छोडी जानी है। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बावत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले आउट प्लान जारी किया जावें।
38.	दक्षिण	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 128/10, 128/42 रकबा 01.15.01 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री संजयकुमार पुत्र श्री चन्द्रभान भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :-** • जोन चैकलिस्ट अनुसार राज्य सरकार को समर्पित 15 फीट चौडा तरमीम मार्ग जिसे 80 फीट चौडा मानते हुए पूर्व में खसरा संख्या 126/7 का मानचित्र अनुमोदित किया जा चुका है। **समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि को आस पास सडक की मौका रिपोर्ट एवम् उक्त सडक पर पूर्व में संपरिवर्तित प्रकरणों में निर्धारित सडक चौडाई की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा न्यूनतम पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**
39.	दक्षिण	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 126/20, 126/16 रकबा 04.00.00 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।	**समिति को अवगत करवाया गया कि :-** • आवेदित भूमि को न्यूनतम 80 फीट का पहुँच मार्ग उपलब्ध होना आवश्यक है। • जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को मौके पर उपलब्ध 15 फीट कटाणी मार्ग से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।

		आवेदक :- श्री मदनलाल पुत्र श्री घेवरराम वगैरहा भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	• कटाणी रास्ते का प्रस्तावित मार्गाधिकार बाबत् निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि को आस पास सडक की मौका रिपोर्ट एवम् उक्त सडक पर पूर्व में संपरिवर्तित प्रकरणों में निर्धारित सडक चौडाई की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा न्यूनतम पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**
40.	दक्षिण	राजस्व ग्राम जोधपुर–दक्षिण के खसरा संख्या 1573/1090, 1574/1090 रकबा 3230.61 वर्गगज के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री विष्णुलाल पुत्र श्री श्यामलाल वगैरहा भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का पहुँच मार्ग 60 फीट है। मौके पर 60 फीट सडक पूर्व में बासनी योजना में छोडी गई रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी भूमि में से छोडी गई। मौके पर एक ऑफिसनुमा कमरा अग्र भाग मे एवं पश्च भाग में टीनशेड निर्मित है। • राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 26.02.2013 अनुसार 1500 वर्गमीटर से अधिक क्षैत्रफल के औद्योगिक भूखण्डों हेतु सडक मार्गाधिकार 80 फीट आवश्यक है अतः इस बाबत् समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि को आस पास सडक की मौका रिपोर्ट एवम् उक्त सडक पर पूर्व में संपरिवर्तित प्रकरणों में निर्धारित सडक चौडाई की रिपोर्ट पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**
41.	दक्षिण	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 128/27, 128/28, 128/9 रकबा 01.03.04 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री राजेश कुमार पुत्र श्री चन्द्रभान भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार राज्य सरकार को समर्पित 15 फीट चौडा तरमीम मार्ग जिसे 80 फीट चौडा मानते हुए पूर्व में खसरा संख्या 126/7 का मानचित्र अनुमोदित किया जा चुका है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि को आस पास सडक की मौका रिपोर्ट एवम् उक्त सडक पर पूर्व में संपरिवर्तित प्रकरणों में निर्धारित सडक चौडाई की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा न्यूनतम पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**
42.	दक्षिण	राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1059/740/7 से 1059/740/10 रकबा 00.09.03 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्रीमती मंजू मून्दडा पत्नी श्री सुमित मून्दडा भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार मौके पर 60 फीट सडक मार्गाधिकार उपलब्ध है, जो पूर्व मे निजी खातेदार की भूमि मे से छोडा गया है। • आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार मौके पर 60 फीट सडक मार्गाधिकार उपलब्ध है, जो पूर्व मे निजी खातेदार की भूमि मे से छोडा गया है। अतः जोन स्तर पर उक्त रास्ते की सुनिश्चितता की जावें। • आवेदित भूमि के पश्चिम में अन्य सडक हैं उक्त सडक का मार्गाधिकार न्यूनतम 40 फीट रखने हेतु सडक मध्य से 20 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि निशुल्क समर्पित करनी होगी। • राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशी ली जानी/5 प्रतिशत भूमि छोडी जानी है। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और न ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित

			है। इस बाबत् जोन स्तर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
43.	दक्षिण	राजस्व ग्राम बारानी बाघेला के खसरा संख्या 83/1 रकबा 09.02.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्रीमती गोगीदेवी पत्नी श्री जेताराम वगैरहा भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :-** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि एवं सुशांत लोक योजना के 60 फीट सडक हेतु समर्पित रास्ता प्राप्त हो रहा है। **समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि एवं सुशांत लोक योजना के 60 फीट सडक हेतु समर्पित रास्ता प्राप्त हो रहा है।उक्त की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। • माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या-1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य मे पारित निर्णय के कम मे न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र/पार्क एवं खुला क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। • मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जानी अपेक्षित है। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
44.	दक्षिण	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 542/2 के ईन्फॉर्मल प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- गार्ड पत्रावली भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :-** प्रार्थी श्री धीसाराम वगैरहा ने कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जोन जोधपुर द्वारा दिनांक 25.04.2007 को अनुमोदित आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान में आरक्षित वाणिज्यिक व ईन्फॉर्मल के ले-आउट अनुमोदन के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल 1672.25 वर्गमीटर (120'X150') है जिसमें से ईफोर्मल मार्केट हेतु क्षेत्रफल 334.45 वर्गमीटर (120'X30') तथा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु क्षेत्रफल 1337.80 वर्गमीटर (120'X120')

			प्रस्तावित किया गया है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में क्षेत्रफल विश्लेषण उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**
45.	दक्षिण	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 128/13, 128/11, 128/18, 128/16, 128/14 रकबा 01.12.10 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री राजेन्द्र पुत्र श्री बालाराम व्गैरहा भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार राज्य सरकार को समर्पित 15 फीट चौडा तरमीम मार्ग जिसे 80 फीट चौडा मानते हुए पूर्व में खसरा संख्या 126/7 का मानचित्र अनुमोदित किया जा चुका है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि को आस पास सडक की मौका रिपोर्ट एवम् उक्त सडक पर पूर्व में संपरिवर्तित प्रकरणों में निर्धारित सडक चौडाई की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा न्यूनतम पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**
46.	दक्षिण	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/6 रकबा 01.13.03 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री प्रदीप सोनी पुत्र श्री भंवरलाल भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार मौके पर 80 फीट सडक मार्गाधिकार उपलब्ध है, जो पूर्व में निजी खातेदार की भूमि में से छोडा गया है। अतः जोन स्तर पर उक्त रास्ते की सुनिश्चितता की जावें। • राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशी ली जानी/5 प्रतिशत भूमि छोडी जानी है। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, बाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
47.	दक्षिण	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 276/7, 276/8 रकबा 03.02.00 बीघा के मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ 3/बी ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री धर्मचन्द मुल्तानमल छाजेड एच.यू.एफ कर्ता धर्मचन्द छाजेड भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • प्रकरण को पूर्व में समिति द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3 ए तहत अनुमोदित किया गया था परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रावधान संख्या 3 बी के तहत संशोधित मानचित्र अनुमोदन किये जाने का निवेदन किया गया है। • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 40 फीट है, जो जोधपुर मोटर मर्चेन्ट एसो. की स्वीकृत योजना में से 40 फीट रोड उपलब्ध है। • प्रार्थी द्वारा 3/ए के तहत पट्टा विलेख जारी हो रखा है.

			समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:– • पूर्व में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3ए के तहत अनुमोदन अनुसार प्रार्थी द्वारा कोई बेचान नही किया है। उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जानी होगी। • राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03–04–2017 अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3बी के तहत न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र एवंम 5 प्रतिशत पार्क छोडा जावें। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी स्वयं की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले आउट प्लान जारी किया जावें।
48.	दक्षिण	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/22 रकबा 01.14.02 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री जगदीश सोनी पुत्र श्री भंवरलाल सोनी भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार मौके पर 80 फीट सडक मार्गाधिकार उपलब्ध है, जो पूर्व मे निजी खातेदार की भूमि मे से छोडा गया है। अतः जोन स्तर पर उक्त रास्ते की चौडाई सुनिश्चितता की जावें। • राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जानी/5 प्रतिशत भूमि छोडी जानी है। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा उक्त सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट

			प्लान जारी किया जावें।
49.	दक्षिण	राजस्व ग्राम बासनी सिलावटा के खसरा संख्या 20, 25/2 रकबा 09.15.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री ढलाराम पुत्र श्री लामुराम वगैरहा भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :-** • जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि तक पहुंच मार्ग जोधपुर-बाडमेर मुख्य सडक से ग्राम बासनी सिलावटा की मुख्य आबादी में से होते हुए राजस्व ग्राम डोली जाने वाली मुख्य सडक से प्राप्त हो रहा है। जिसकी तरमीम राजस्व मानचित्र व जमाबंदी में अंकित है एवं भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की आकर समर्पणनामा प्रस्तुत है। • जोन चैक लिस्ट अनुसार मौके पर 25 फीट चौडी डामर सडक उपलब्ध है व प्रार्थी ने सडक के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोडते हुये 100 प्रस्तावित की है। • जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि ग्राम बासनी सिलावटा से डोली जाने वाली मुख्य डामर सडक पर स्थित है • जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि राजस्व तरमीम जो कि 50 फीट रास्ते के रूप में उपलब्ध है, मौके पर 25 फीट चौडी डामर सडक बनी हुई है। **समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-** • आवेदित भूमि को उपलब्ध सडक का मार्गाधिकार 100 फीट किये जाने हेतु सडक के मध्य से 50 फीट भूमि प्रार्थी की भूमि में से निःशुल्क समर्पित कराई जावें। उक्त की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। • माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या-1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य मे पारित निर्णय के कम मे न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र/पार्क एवं खुला क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। • मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जानी अपेक्षित है। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
50.	दक्षिण	राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1035/740/8 रकबा 00.11.02 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्रीमती लीलादेवी पत्नी श्री जुगलकिशोर झंवर	**समिति को अवगत करवाया गया कि :-** • जोन चैकलिस्ट अनुसार राज्य सरकार को समर्पित रास्ता आवेदित भूमि में से 60 फीट रास्ता उपलब्ध हो रहा है। **जोन उपायुक्त ने बताया कि प्रकरण में आपति प्राप्त हुई है अतः समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में आपति निस्तारण के पश्चात प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**

		भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	
51.	दक्षिण	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 176/6 मीन व 176/7मीन रकबा 02.04.06 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री निसार मो. पुत्र श्री रमजान मो. भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 100 फीट मुख्य सालावास रोड पर स्थित है। मौके पर पुरानी टेक्सटाईल फैक्ट्री निर्मित है एवं अग्र भाग मे दुकाने निर्मित है। वर्तमान में मौके पर फैक्ट्री एवं दुकाने बन्द है • प्रकरण में बिन्दु संख्या 5 अनुसार सम्पूर्ण ग्राम पर आपत्ति प्राप्त है। जिसके संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। • आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। • प्रार्थी स्वंय उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त खसरा संख्या 176/6 व 176/7 ही स्पष्ठ किया गया। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** • आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग मुख्य सालावास सडक से है। पूर्व में इस सडक पर सडक का मार्गाधिकार 200 फीट रखते हुये ले आउट प्लान अनुमोदित है। अतः उक्त सडक का मार्गाधिकार 200 फीट रखे जाने हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट भूमि प्रार्थी की भूमि से निःशुल्क समर्पित करनी होगी। अतः जोन स्तर पर उक्त रास्ते की सुनिश्चितता की जावें। • राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशी ली जानी/5 प्रतिशत भूमि छोडी जानी है। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यामान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
52.	दक्षिण	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 79 रकबा 05.15.00 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री निसार मो. पुत्र श्री रमजान मो. भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • (जोन चैक लिस्ट अनुसार मुख्य सालावास सडक से तरमीम शुदा खसरा संख्या 81/2 एवंम् 88/2 में से 70 फीट राज्य सरकार को समर्पित सडक है।) **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** • जोन चैकलिस्ट अनुसार मौके पर 70 फीट सडक मार्गाधिकार उपलब्ध है, उक्त सडक को 80 फीट किये जाने हेतु पर्याप्त भूमि निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। अतः जोन स्तर पर उक्त रास्ते की सुनिश्चितता की जावें।

			• राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशी ली जानी/5 प्रतिशत भूमि छोडी जानी है। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
53.	दक्षिण	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 174/8 रकबा 12.01.00 बीघा के ट्रांसपोर्ट नगर प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री पुखराज पुत्र श्री चुन्नीलाल भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019	**समिति को अवगत करवाया गया कि :–** • जोन चैक लिस्ट अनुसार थार ड्राईपोर्ट मे से 40 फीट मार्ग उपलब्ध है तथा कटाणी मार्ग भी उपलब्ध है। • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 60 फीट पूर्व मे स्वीकृत योजना (थार ड्राईपोर्ट) मे से है, मौके पर एक हॉल एवं पक्का निर्माण पाया गया। • आवेदित भूमि तक ले–आउट प्लान मे दर्शाये अनुसार न्यूनतम 60 फीट पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जानी है। • पत्रावली के पैरा 46 अनुसार प्रश्नगत भूमि की 90/बी आवासीय प्रयोजनार्थ की हुई है। **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** • जोन चैक लिस्ट अनुसार थार ड्राईपोर्ट मे से 40 फीट मार्ग उपलब्ध है तथा कटाणी मार्ग भी उपलब्ध है। उक्त कटाणी रास्ते को 60 फीट करने हेतु 20 फीट भूमि आवेदक को पूर्व पट्टारूढ स्वामित्व की भूमि में से निःशुल्क समर्पित करनी होगी। उक्त की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किया जावे। • राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशी ली जानी/5 प्रतिशत भूमि छोडी जानी है। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।

			• प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी. लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोडा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(गौरव अग्रवाल)
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(ओ.पी. बुनकर)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(ए.के. गुप्ता)
निदेशक अभियांत्रिकी
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(श्रवणसिंह राजावत)
उपायुक्त (उत्तर/पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(ओ.पी. विश्नोई)
उपायुक्त (पूर्व/दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(पी.आर. बेनीवाल)
निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1.	श्री गौरव अग्रवाल, आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री ओ.पी. बुनकर, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सदस्य
3.	श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4.	श्री श्रवणसिंह राजावत, उपायुक्त (उत्तर/पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
5.	श्री ओ.पी. विश्नोई, उपायुक्त (पूर्व/दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
6.	श्री पी.आर. बेनीवाल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एल.पी.)

क्रमांक :–F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी)/का.वि./2019/ 6365–6373 दिनांक:– 23.07.2019
प्रतिलिपि :– निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी श्री हेमराज को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करें।

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एल.पी.)